

**झारखण्ड सरकार**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
लगान रसीद

**V**

जिला का नाम } कोरिया  
अनुमण्डल का नाम } तिलौरा  
अंचल का नाम }  
मंडला }  
धाना बो धाना नम्बर - 244

P.N. - 76/43

रसीद क्रमांक JH A071317

रसिद का नाम श्री का दाया है  
पिता का नाम श्री मोहन लाल श्रीवास्तव  
व्यवहारी नम्बर 25 तिलौरा

खाना सं. या 1304	खेती संख्या 3226	रकबा (एकड़ में) 2.18
------------------	------------------	----------------------

जोत का सालाना प्रति एकड़ प्रांग का विवरण (अकाला एवं नाला) चालू वर्ष का

मास	वार्षिक	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	विगत वर्ष	वर्ष
लगान	0.05				2015-16
सेस	0.05				0.05
*व्याज	0.10				0.05
विक्रय	0.10				0.10
योग	0.20				0.10
अदवानी	0.50				0.20

अदवानी	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	विगत वर्ष	वर्ष
लगान				2015-16
सेस				0.05
*व्याज				0.05
विक्रय				0.10
योग				0.10
कुल योग शब्दी में				0.20
नाम अदाकर्ता				0.50
कुल रकबाया				0.50

कुल योग शब्दी में पचास रुपये मात्र  
नाम अदाकर्ता  
कुल रकबाया

(रकबा कार्य करी)

हस्ताक्षर एवं दिनांक

\* राजस्व मंत्रालय की संख्या 2007/1000 पर संशोधन करने के लिये नया रसिद का क्रमांक देना है। नया रसिद का क्रमांक देना है।  
SPL/2013

2500 करो 903 ह. - 1007/2015-16

Right hand thumb



# JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD, JHUMRITILAIYA

## HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. TRAN325181080118123726

Date : 08-01-2018

Ward No : 2

Department / Section : Revenue Section  
Account Description : Holding Tax & Others  
Application Type : New Assessment

SAF No. : SAF428154080118123615

Property Type : Vacant Land

Name CHAYA DEVI  
C/O:-

Address : TELAIYA BASTI JHUMRI TELAIYA ,  
MOB : 9304797354

A Sum of Rs. 172.00

(in words) One Hundred and Seventy-Two Only

towards Holding Tax & Others vide Cash

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

### Holding Tax Details

Account Description	Period	Amount
Holding Tax Arrear	2016-2017 / 1 2016-2017 / 4	88.00
Holding Tax Current	2017-2018 / 1 2017-2018 / 4	88.00
<b>Total</b>		<b>176.00</b>
<b>Additional Tax</b>		<b>0.00</b>
<b>Penalty / Interest Amount</b>		<b>0.00</b>
<b>Rebate on current Demand</b>		<b>4.00</b>
<b>Adjust amount</b>		<b>0.00</b>
<b>Amount Received</b>		<b>172.00</b>
<b>Advance Amount</b>		<b>0.00</b>



Right Hon'd Rumb  
Chaya devi

Bhobha  
8/1/18



### Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year.
- without prejudice to land right

For Details Please Visit : [udhd.jharkhand.gov.in](http://udhd.jharkhand.gov.in)

In Collaboration With  
Ritika Printech Pvt. Ltd.

# JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संपत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 278492130118122216

Date : 13-01-2018

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री CHAYA DEVI W/O MOHAN LAL SRIVASTVA,  
मोहल्ला TELAIYA BASTI JHUMRI TELAIYA , 9304797354  
KODERMA , 825409

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0020000113860M0 वार्ड सं. 2 हुआ है, आपके

स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।

इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	22.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		22.00



Right hand Thumb Chajdetan

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website [www.jharkejandhuda.org](http://www.jharkejandhuda.org) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के अलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो संपत्ति कर का 50% होगा।  
विदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय धृति को लिमिटेड समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संगठित इस संपत्ति कर इन इमरतों/घावों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / देखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नंअों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.